

प्रश्नपृष्ठ क्र. 1045
सामान्य प्रशासन विभाग
मध्यप्रदेश

क्रमांक एफ 11-19/2011/1-10

भोपाल, दिनांक 23/02/2012

प्रति,

शासन के रामरत्त विभाग,
समरत संभागीय कमिशनर,
समरत विभागाध्यक्ष,
समरत कलेवटर,
मध्य प्रदेश।

विषयः—सतर्कता एजेन्सी द्वारा डाले गये छापे/ट्रेप के प्रकरणों में पकड़े गये अधिकारी/कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानांतर या संलग्नीकरण करने विषयक।

- संदर्भः—**1. सा.प्र.वि. का परिपत्र क. एफ 15-7/87/प्रसको./एक दि. 24/07/1987
 2. सा.प्र.वि. का परिपत्र क. एफ 15-1/94/1-10 दिनांक 05/01/1996
 3. सा.प्र.वि. का परिपत्र क. एफ 11-2/04/1-10 दिनांक 01/03/2004
 4. सा.प्र.वि. का परिपत्र क. एफ 11-19/2011/1-10 दिनांक 29/07/2011

—0—

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा छापे अथवा ट्रेप प्रकरणों में पकड़े गये अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा साक्ष्य अथवा अन्वेषण को प्रभावित न करने की दृष्टि से विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन अथवा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अनुरोध पर उनको अन्यत्र स्थानांतर करने के संबंध में पूर्व में किये गये समस्त निर्देशों को निरस्त किया जाकर निम्नानुसार एकजार्ह निर्देश जारी किये जाते हैं :—

1. ट्रेप अथवा छापे के प्रकरणों में आरोपी अधिकारी/कर्मचारियों के संबंध में किसी भी माध्यम से सूचना प्राप्त होने अन्यथा संज्ञान में आने के 03 कार्य दिवस की समयावधि के भीतर ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों को उस पद पर से जिस पर रहते हुये ट्रेप अथवा छापे की कार्यवाही हुई है, से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाये। यदि प्रथम जानकारी समाचार पत्रों या अन्य मीडिया से प्राप्त होती है, तो केवल दूरभाष पर उसकी पुष्टि करा लेना इस कार्यवाही के लिये पर्याप्त होगा।
2. ऐसे कार्यालय अथवा संस्था जैसे प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पंचायत आदि जिनके अन्य स्थान पर कोई कार्यालय नहीं है, ऐसे कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील दायित्वों से पृथक रखा जाए।
3. ट्रेप अथवा छापे के प्रकरणों में पकड़े गये अधिकारी/कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने के प्रस्ताव पर यदि माननीय मंत्री जी की की व्यस्तता या भ्रमण पर होने के कारण तत्काल अनुगोदन प्राप्त करना संभव न हो तो ऐसे प्रकरणों में प्रथमतः संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किये जाकर

माननीय मंत्री जी का कार्यात्मक अनुगोदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जाए। यह व्यवस्था समन्वय में गाननीय गुरुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमोदित है।

2/ ट्रेप अधिकारी के प्रकरणों में पकड़े गये अधिकारी/कर्मचारियों को अन्यत्र रथानांतरित करने के संबंध में उपरोक्त निर्णयानुसार कार्यवाही की जाकर उसकी सूचना संबंधित जांच एजेन्सी एवं सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-10) के साथ-साथ आयुक्त, जनसंपर्क विभाग को भी दी जावे।

3/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करने का कार्य करें।

(*Om*)

(विजया श्रीवारत्न)

प्रमुख सचिव,

म.प्र. शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 23/02/2012

पृ. क्रमांक एफ 11-19/2011/1-10

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. सचिव, लोकायुक्त संगठन, म.प्र. भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
4. महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल, म.प्र.।
6. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर, म.प्र.।
8. आयुक्त, जनसंपर्क, म.प्र. भोपाल।
9. रट्टॉक फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(*Om*)

प्रमुख सचिव,

म.प्र. शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-